नहीं सकता। महात्मा जी और गौतम बुद्ध द्वारा दिखाए गए रास्ते जैनवाद और बुद्धवाद और गांधी जी की अहिंसा का पालन करके ही मानवता को नष्ट होने से बचाया जा सकता है न कि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से इसे बचाया जा सकता है। इस पर करोड़ों डालर खर्च करना, दस्ते (स्क्वाड) भोजन, हजारों निर्दोष लोगों को मारने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए लोगों का तैयार रहना मात्र मतान्धता है। हमें इसे कहना चाहिए कि यह धर्मान्धता है, इससे कम कुछ नहीं है आतंकवाद की मनोवृत्ति का सामना घृणा से नहीं करना चाहिए तथा आतंकवाद विरोधी स्कूल खोलकर भी इनसे मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमें यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। हम जो भी कानून बनाते है, वे सभ्य समाज के कानून हैं। वे उनके कानून हैं जो इसका पालन करते हैं। आतंकवादी किसी कानून का पालन नहीं करते। उन्हें अपने जीवन से प्यार नहीं होता। उन्हें अपने सम्बन्धियों से प्यार नहीं होता। उन्हें ऐसी किसी चीज से लगाव नहीं होता जो मानवजाति के हित में हो। घृणा और हिंसा की मनोवृत्ति के परिणामस्वरूप ही वे इस पृथ्वी पर निर्दयी जीव हैं। इसका सामना करने के लिए हमें अपनी एकता बनाए रखनी चाहिए और भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो प्यार, स्नेह और अहिंसा का सन्देश दे सकता है। आतंकवाद, जिससे हमें छुटकारा पाना ही होगा, की मनोवृत्ति को इसी से समाप्त किया जा सकता है।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि हम पिछले दो घण्टे से इस सभा में आतंकवाद के प्रभावों के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं तथा आतंकवादी गतिविधियों और अमरीका में श्री फ्रेंक के स्कूल और ऐसे अन्य स्कूलों, जहाँ आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, की निन्दा कर रहे हैं··· **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : तालियां केवल प्रधान मन्त्री के लिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : प्रो० मधु दण्डवते के लिए नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह साथ-साथ ही है;

माननीय सदस्य अपना स्थान लेंगे। अब प्रधान मन्त्री बोलेंगे।

6.06 म० प०

पंजाब के सम्बन्ध में वक्तव्य

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अपने दल को पंजाब की समस्याओं का समाधान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का वचन दिया था। मुझे सदन को यह सूचना देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कुछ माह के बाद, हमने आज एक बहुत ठोस कदम उठाया है। करीब 20 मिनट पहले सन्त हरचन्द सिंह लोंगोवाल और मैंने समझौते के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जिस कठिन घड़ी से यह देश गुजर रहा था आज उसका अंत हो जाएगा। यह अपने देश के निर्माण, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक साथ काम करने का एक नया चरण आरम्भ होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सन्त हरचन्द सिंह लोंगोवाल के बीच हुए समझौते के ज्ञापन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1154/85]

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : समझौते का ज्ञापन कहां है ?

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे पास है।

श्री राजीव गांधी : इस पर केवल 20 मिनट पहले हस्ताक्षर किए गए थे। इसकी केवल एक ही प्रति है···

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इसे पढ़ा जाना चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं। हमारा प्रधान मन्त्री से केवल यह अनुरोध है कि वह इसे पढ़कर सुनाएं।

श्री राजीव गांधी : क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे पढ़कर सुनाऊं।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री राजीव गांधी : ठीक है, मैं इसे पढ़कर सुनाऊंगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम कठिनाई समझते हैं···

श्री राजीव गांधी : इसमें कोई कठिनाई नहीं है। राज्य सभा को थोड़ा इन्तजार करना पड़ेगा। अन्यथा, ठीक है।

समझौते का ज्ञापन

1. मारे गये निरपराध व्यक्तियों के लिए मुआवजा :

1.1 एक अगस्त, 1982 के बाद हुई किसी कार्रवाई या आन्दोलन में मारे गए निरपराध लोगों को अनुग्रह राशि के भुगतान के साथ सम्पत्ति की क्षति के लिए मुआवजा भी दिया जायेगा।

2. सेना में भर्ती :

2.1 देश के सभी नागरिकों को सेना में भर्ती का अधिकार होगा और चयन के लिए केवल योग्यता ही आधार रहेगा।

3. नवम्बर दंगों की जांच :

3.1 दिल्ली में नवम्बर में हुए दंगों की जांच कर रहे न्यायाधीश श्री रंगनाथ मिश्र आयोग का क्षेत्राधिकार बढ़ाकर उसमें बोकारो और कानपुर में हुए उपद्रवों को भी जांच के लिए शामिल किया जाएगा।

4. सेना से निकाले गए व्यक्तियों का पुनर्वास :

4.1 सेना से निकाले गए व्यक्तियों का पुनर्वास और उन्हें लाभकारी रोजगार दिलाने के प्रयास किए जायेंगे।

5. अखिल भारतीय गुरुद्वारा कानून :

5.1 भारत सरकार अखिल भारतीय गुरुद्वारा कानून बनाने के विचार से सहमत है। शिरोमणि अकाली दल और अन्य सम्बन्धित लोगों की सलाह से और सभी संमत संवैधानिक जरूरतें पूरी करने के बाद इस प्रयोजन के लिए विधेयक पेश किया जायेगा।

6. लम्बित मामलों का निपटाया जाना :

6.1 सशस्त्र सेना विशेष शक्तियां अधिनियम को पंजाब में लागू करने वाली अधिसूचना वापस

हो जायेंगे। उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। लेकिन आंशिक रूप से उन्हें सफलता मिली,—हमारी प्रधान मन्त्री की हत्या करवाकर। हमें मात्र श्री फ्रेंक या अमरीका में चलाये जा रहे लगभग 25 आतंकवादी स्कूलों की निन्दा करके ही सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इन स्कूलों पर प्रतिबन्ध लगाने या इनके चलाये जाने को रोकने के लिए अमरीकी संविधान में कोई बड़े संविधान संशोधन की आवश्यकता है। आखिरकार ये स्कूल अमरीका के कल्याण के लिए प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं। उनका उद्देश्य विकासशील देशों में तोड़फोड़ करना और उनके टुकड़े करना है। वे ज्यादातर उन्हीं क्षेत्रों के लिए हैं, जहां अमरीका चाहता है कि शान्ति न रहे। अमेरिका चाहता है कि एशिया जलता रहे। अफ्रीकी देश जलते रहें, दक्षिण-पूर्व एशिया जलता रहे ताकि द्वितीय-विश्व युद्ध के बाद स्वतन्त्र हुए देशों का विकास रुका रहे।

श्रीमन्, मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूं कि श्री फ्रेंक कैम्पर और उसके स्कूलों की निन्दा करना ही पर्याप्त नहीं है। जहां तक निर्णयों का सम्बन्ध है, मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि हमें इन गतिविधियों का काफी पहले से पता होना चाहिए था। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि हमें और अधिक समर्पित कर्मचारी, विशेषकर अमरीका में भारतीय दूतावास में अधिकारी और कर्मचारी, नियुक्त करने चाहिए ताकि हमें इन आतंकवादियों की गतिविधियों का काफी पहले पता लग सकता। मैं किसी व्यक्ति विशेष का पक्षधर नहीं हूं। लेकिन मैं निश्चिय ही अपने देश का, अपनी स्वतन्त्रा का और अपने देश की अखण्डता का पक्षधर हूं, क्योंकि वे हमें सबसे अधिक प्रिय हैं; विदेशों में, अमरीका स्थित हमारे दूतावास में कार्यरत किसी भी कर्मचारी के अगर यही विचार नहीं है तो उसका वहां रहने का कोई लाभ नहीं है।

6.27 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन अधिसूचना

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : श्री जनार्दन पुजारी की ओर से मैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या 174/85-के० उ० शु० [सा० का० नि० 606 (अ)] की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 24 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 70/85-के० उ० शु० को रद्द किया गया है, ताकि शुल्क-प्रदत्त रेजिन अथवा प्लास्टिक सामग्री से निर्मित जूतों के लिए दी गई उत्पाद-शुल्क सम्बन्धी छूट वापस ली जा सके, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० पी० 1153/85]

6.28 म० प०

तत्पश्चात लोकसभा गुरुवार, 25 जुलाई, 1985/3 श्रावण, 1907 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक, मित्तल प्रिण्टर्स, के-13 नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 द्वारा मुद्रित।